

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - हुक्मीचन्द रोहलानियां, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 434/2023 प्रा0पत्र

दिनांक- 16.10.2023

01. सुनिल कुमार पिता प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी मरेवडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

..प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार


.अप्रार्थी

-:: आदेश ::-

प्रार्थी सुनिल कुमार पिता प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी मरेवडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के ग्राम अलगवास, पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेड़ा के आराजी नम्बर 1738/103 रकबा 0.5059 हैक्टर में आने जाने के रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 251ए दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम अलगवास, पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेड़ा के बिलानाम आराजी नम्बर 1 रकबा 12.3302 हैक्टर में से 0.2304 है0 भूमि व बिलानाम आराजी नम्बर 103 रकबा 5.1471 हैक्टर में से 0.2790 है0 भूमि किस्म बंजड़, में से (30 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु) कुल 0.5094 हैक्टर प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग की होने तथा ग्राम वासियान एवं खातेदारों के खेतों पर आने-जाने के काम आ रहा हैं मौके पर रास्ता चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 चिताम्बा ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया हैं। बिलानाम भूमि ख0नं0 1 व 103 मे रास्ता दर्ज करने के संबध मे तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम अलगवास, पटवार हल्का भभाणा, तहसील करेड़ा के बिलानाम आराजी नम्बर 1 रकबा 12.3302 हैक्टर में से 0.2304 है0 भूमि व बिलानाम आराजी नम्बर 103 रकबा 5.1471 हैक्टर में से 0.2790 है0 किस्म बंजड़ भूमि की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करा राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में, संलग्न नक्शों में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


(हुक्मीचन्द रोहलानियां)
उपखण्ड अधिकारी पटवार
सहायक कलक्टर करेड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा